Seventeenth Loksabha

>

Title: Demand for a CBI enquiry against the Mathadi Board for mishandling of the PF money of the Mathadi workers.

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान ऐसे तबके की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिनकी आवाज सदन तक नहीं पहुंचती है । महाराष्ट्र में हमालों को मराठी में माथाड़ी कहते हैं, यानी जो सर पर थैले रख कर, रेलवे वैगन या ट्रकों से उतारते हैं या मार्केट में काम करते हैं, ऐसे लाखों लोग हैं । उन्हें माथाड़ी कहते हैं । उनका शोषण न हो, इस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने तकरीबन 25 साल पहले माथाड़ी बोर्ड्स बनाए । तकरीबन ऐसे 36 माथाड़ी बोर्ड्स बनाए गए हैं, जो महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में हैं – पुणे, कोंकण, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, अमरावती । इनका मकसद यही था कि कोई इन माथाड़ियों का शोषण न करे, लेकिन यह हो रहा है कि जो मेहनत करते हैं, उनको डायरैक्ट पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि वह पैसा माथाड़ी बोर्ड के पास जाता है । उसका चेयरमैन कोई पॉलिटिकल अप्वाइंटी होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है । मेहनत-मजदूरी माथाड़ी कर रहा है, लेकिन माथाड़ी बोर्ड 30 प्रतिशत पैसा अपने पास रख लेता है और 70 प्रतिशत पैसा उन्हें देता है । अगर पिछले 25 सालों का हिसाब निकाल कर देखें, तो बोर्ड जो 30 प्रतिशत पैसा अपने पास रखता है, उसमें से 12 प्रतिशत कम्पोनैंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए है । कम्पोनैंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट्स, 1952 के तहत किसी भी संस्था/संगठन में 22 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो उनका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ एकाउंट में जमा होना चाहिए । लाखों मजदूरों का पैसा पीएफ के नाम पर जमा किया जा रहा है, लेकिन एक रुपए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ एकाउंट में जमा नहीं किया जा रहा है, उसमें नहीं दिया जा रहा है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर सीबीआई की इंक्वायरी की जाए । मैं समझता हू कि अगर सीबीआई इंक्वायरी की जाएगी तो सभी 36 बोर्ड्स के चेयरमेन जेल के अंदर जाएंगे । लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मजदूरों की देख-रेख करने की होती है, उन पर भी कार्रवाई होगी । मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द जो पैसा प्राइवेट बैंकों में रखा गया है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ एकाउंट में ट्रांसफर किया जाए ।

माननीय सभापति : श्री जगदम्बिका पाल ।

कृपया, आप सभी एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल (**डुमरियागंज**): आप ने तीन मिनट कहा है ।

माननीय सभापति : नहीं ।